न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—54/2024 दायर दिनांक:— 03.09.2024

जीसीएमएस नं. 2024/414

1. जगदीश उम्र 61 साल
2. बबलू उम्र 54 साल
3. सांझा उम्र 68 साल
4. साबो उम्र 65 साल
5. सुमित्रा उम्र 59 साल
6. किन्नो उम्र 70 साल
7. उगन्ती पत्नि ईश्वरलाल उम्र 90 साल

} पिसरान ईश्वरलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासी धुरसी तहसील सूरौठ जिला करौली

——सायलान—07

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

——गैरसायल

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित:— 1. श्री रामखिलाडी सैनी वकील प्रार्थीगण

2. श्री पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 19-5-2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सेवा में प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है कि प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खाता संख्या 174 का पुराना खाता संख्या 174 के खसरा नम्बर 1093 रकवा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 1094 रकवा 31 ऐयर, खसरा नम्बर 1095 रकवा 26 ऐयर, खसरा नम्बर 1096 रकवा 33 ऐयर, कुल किता 4 कुल रकवा 1.10 है० तथा नवीन खाता संख्या 175 का पुराना खाता संख्या 175 के खसरा नम्बर 1092 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1099 रकवा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1100 रकवा 03 ऐयर, खसरा नम्बर 1117 रकवा 31 ऐयर, खसरा नम्बर 1121 रकवा 02 ऐयर, खसरा नम्बर 1122 रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 1123 रकवा 33 ऐयर, खसरा नम्बर 1148 रकवा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 1149 रकवा 26 ऐयर, खसरा नम्बर 1150 रकया 10 ऐयर, खसरा नम्बर 1152 रकवा 44 ऐयर कुल किता 11 कुल रकवा 2.41 है० तथा नवीन खाता संख्या 176 पुराना खाता संख्या 176 के खसरा नम्बर 1133 रकवा 21 ऐयर, खसरा नम्बर 1134 रकवा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1135 रकवा 22 ऐयर, खसरा नम्बर 1136 रकवा 87 ऐयर, खसरा नम्बर 1147 रकवा 14 ऐयर कुल किता 5 कुल रकवा 1.66 है० तथा नवीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

खाता संख्या 177 का पुराना खाता संख्या 177 के खसरा नम्बर 1082 रकवा 30 ऐयर तथा नवीन खाता संख्या 178 का पुराना खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 1087 रकवा 08 ऐयर तथा नवीन खाता संख्या 179 का पुराना खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 1081 रकवा ऐयर, खसरा नम्बर 1088 रकवा 34 ऐयर, खसरा नम्बर 1089 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 1090 रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बरब 1091 रकवा 14 ऐयर, कुल किता 5 कुल रकवा 1.12 है० तथा नवीन खाता संख्या 436 का पुराना खाता संख्या 176 के खसरा नम्बर 1098 रकवा 52 ऐयर तथा नवीन खाता संख्या 437 का पुराना खाता संख्या 176 के खसरा नम्बर 1097 रकवा 31 ऐयर तथा नवीन खाता संख्या 438 का पुराना खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 303 रकवा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 304 रकवा 16 ऐयर, खसरा नम्बर 305 रकवा 15 ऐयर, खसरा नम्बर 632 रकवा 31 ऐयर, खसरा नम्बर 649 रकवा 15 ऐयर, खसरा तम्बर 650 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 651 रकवा 25 ऐयर, खसरा नम्बर 652 रकवा 18 ऐयर, खसरा नम्बर 653 रकवा 17 ऐयर, कुल किता 9 कुल रकवा 1.68 है० तथा नवीन खाता संख्या 439 का पुराना खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 298 रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 299 रकवा 05 ऐयर, खसरा नम्बर 300 रकवा 06 206 ऐयर, खसरा नम्बर 301 रकवा 03 ऐयर, खसरा नम्बर 302 रकवा 13 ऐयर कुल किता 05 कुल रकवा 0.40 है० वाके ग्राम धुरसी, तहसील सूरौठ, जिला करौली में स्थित है।

उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम ईशुरिया गलत दर्ज हो रहा है तथा प्रार्थी नम्बर 04 का नाम सावित्री एवं प्रार्थी संख्या 06 का नाम किन्नो भी गलत दर्ज हो रहा है। प्रार्थीगण के पिता ईश्वरलाल को गांव में सामान्य बोलचाल में ईशुरिया कहते थे, ईश्वरलाल व ईशुरिया प्रार्थी के पिता के ही नाम थे, जिन्हें दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। ये दोनों नाम प्रार्थीगण के पिता के ही हैं, इन नामों का अन्य कोई व्यक्ति गांव धुरसी, तहसील सूरौठ में नहीं है।

प्रार्थिया नम्बर 04 साबो को गांव में सामान्य बोलचाल में सावित्री कहते हैं, साबो व सावित्री प्रार्थिया नम्बर 04 के [illegible] हैं. जिसे दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसी प्रकार [illegible] 06 किन्नो को गांव में सामान्य बोलचाल में किन्ना कहते हैं. किन्नो व किन[illegible] प्रार्थिया नम्बर 06 के ही नाम हैं,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:04:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसे दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है। इन नामों की अन्य कोई महिलाएं गांव धुरसी, तहसील सूरौठ में नहीं है।

प्रार्थीगण के पिता का नाम ईश्वरलाल के स्थान पर ईशुरिया नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड पैनकार्ड, मार्कशीट बैंक सांचा पासबुक आदि में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम ईश्वरलालदर्ज है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम ईयूरिया के स्थान पर ईश्वरलाल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थिया संख्या 04 का नाम साबो के स्थान पर सावित्री नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है तथा प्रार्थिया संख्या 06 का नाम किन्नो के स्थान पर किन्ना नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है।. जबकि दोनों प्रार्थिया नम्बर 04 व 06 के समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड, मार्कशीट, बैंक पासबुक आदि में सही नाम प्रार्थिया नम्बर 04 का साबो व प्रार्थिया संख्या 06 का किन्नो नाम दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया संख्या 04 का नाम सावित्री के स्थान पर साबो तथा प्रार्थिया संख्या 06 का नाम किन्ना के स्थान पर किन्नो दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थीगण की माता का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में ऊगन्ती पत्नी ईशुरिया दर्ज है, जो गलत रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की माता का नाम तो सही है, परन्तु पिता का नाम ईशुरिया गलत दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की माता ऊगन्ती पत्नी ईशुरिया के स्थान पर ऊगन्ती पत्नी ईश्वरलाल किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उपरोक्त दुरुस्ती किये जाने से राजस्व रिकॉर्ड व राजस्व लगान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही अन्य खातेदारों एवं सरकार प्रतिवादी को कोई किसी प्रकार की क्षति होगी। जबकि उक्त गलती की दुरुस्ती नहीं करने से प्रार्थीगण सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं, जिससे प्रार्थीगण के हकहकूक काफी प्रभावित हो रहे हैं तथा प्रार्थीगण को काफी क्षति हो रही है, इसलिए रिकॉर्ड में हुई उक्त सांचा गलती को दुरुस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण ने अपनी जमाबंदी के रिकॉर्ड की दुरुस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को दिनांक 23.07.2024 को दिया तो अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र को लेकर अपने पास रख लिया और प्रार्थीगण से सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को

उपखण्ड अधिकारी

कहा, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रार्थीगण के पिता ईशुरिया नाम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर दस्तावेजी सही नाम ईश्वरलाल तथा प्रार्थिया संख्या 04 सावित्री के नाम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर सही नाम साबो तथा प्रार्थिया संख्या 06 किन्ना के नाम को दुरुस्त कर उसके स्थान पर सही नाम किन्नो तथा प्रार्थीगणं की माता ऊगन्ती पत्नी ईशुरिया को दुरुस्त कर उसके स्थान पर सही नाम ऊगन्ती पत्नी ईश्वरलाल शुद्ध किये जाने के आदेश फरमाये जाकर उक्त शुद्धि के आदेश की पालना हेतु तहरीर अप्रार्थी को जारी की जावे।

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 545 दिनांक 30.12.2024 को जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः—

1. दावा मद संख्या 01 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।
2. दावा मद संख्या 02 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है।
3. दावा मद संख्या 03 उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अस्वीकार है।
4. दावा मद संख्या 04 मजमें आम में की गई जानकारी के अनुसार स्वीकार है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम धुरसी स0 2006—2069 के खाता संख्या 156, 157, 158, 159, 160 के अनुसार ईशुरिया पुत्र सूरजमल दर्ज रिकार्ड है।
5. मद संख्या 05 मजमे आम में की गई जानकारी के अनुसार स्वीकार है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार अस्वीकार है।
6. दावा मद संख्या 06 राजस्व रिकार्ड की हद तक अस्वीकार है।
7. दावा मद संख्या 07 कानूनी है।
8. दावा मद संख्या 08 कानूनी है।
9. दावा मद संख्या 09 कानूनी है।
10. दावा मद संख्या 10 कानूनी है।
11. दावा मद संख्या 11 कानूनी है।
12. राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम धुरसी स0 2066—2069 के खाता संख्या 156 ल0 180 में ग्राम धुरसी के नामा0 संख्या 722 दिनांक 05.11.2011 द्वारा विरासत ईशुरिया पुत्र सूरजमल हि०मु0 जमाबंदी की बजाय जगदीश, बबलू,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पि० ईशुरिया किन्ना, सांझा सावित्री सुमित्रा पुत्रिया इंशुरिया उगन्ती बेबा ईशुरिया हि० मु० जमा० के नाम स्वीकार हुआ है।

ग्राम धुरसी के आठख० नम्बर 1093, 1004, 1095, 1096 किता 04 रकवा 1.10 है० में हि० 1/10 का अंकन खातेदार उगन्ती पत्नी ईसुरिया जाति जांगिड सा० देह खातेदार कि नामा० सं० 379 दिनांक 20.07.2004 से रमेश पुत्र मानू हि० 1/10 के खसरा नम्बर 1093, 1004, 1095, 1096 किता 04 रकया 1.10 है० के स्थान पर बेचान से उगन्ती पत्नी इंशुरिया जाति जांगिड हि० 1/10 परिवर्तन स्वीकार हुआ। जिसका अंकन ग्राम धुरसी की जमाबंदी संवत 2058–2061 के खाता संख्या 58 पर हो रहा है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179, 436, 437, 438, 439 फोटो प्रति आधार कार्ड जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र ईश्वर लाल शर्मा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो प्रति आधार कार्ड बबलू पुत्र ईश्वर, फोटो कॉपी पेन कार्ड बबलू, फोटो कॉपी टीसी राउमावि मोरडा, फोटो कॉपी आधार कार्ड सांझा देवी पत्नि विशम्भर दयाल, फोटो कॉपी आधार कार्ड साबो जांगिड, फोटो कॉपी जनआधार कार्ड साबो जांगिड, फोटो कॉपी आधार कार्ड सुमित्रा पत्नि ओमप्रकाश, फोटो कॉपी जनआधार कार्ड सुमित्रा, फोटो कॉपी आधार कार्ड किन्नो जागिंड पुत्र किशोरीलाल, फोटो कॉपी जनआधार कार्ड उगन्ती पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार तहसीलदार सूरौठ ने जबाब प्रार्थना पत्र को दोहरया।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179, 436, 437, 438, 439 फोटो प्रति आधार कार्ड जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र ईश्वर लाल शर्मा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो प्रति आधार कार्ड बबलू पुत्र ईश्वर, फोटो कॉपी पेन कार्ड बबलू, फोटो कॉपी टीसी राउमावि मोरडा, फोटो

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

कॉपी आधार कार्ड सांझा देवी पत्नि विशम्भर् दयाल, फोटो कॉपी आधार कार्ड साबो जांगिड, फोटो कॉपी जनआधार कार्ड साबो जांगिड, फोटो कॉपी आधार कार्ड सुमित्रा पत्नि ओमप्रकाश, फोटो कॉपी जनआधार कार्ड सुमित्रा, फोटो कॉपी आधार कार्ड किन्नो जागिंड पुत्र किशोरीलाल, फोटो कॉपी जनआधार कार्ड उगन्ती है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव एवं प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने प्रा0 पत्र में अंकित अनोतुष ईशुरिया के स्थान पर ईश्वर लाल को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है एवं इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र में चाहे गये अन्य अनोतुषो को अपने पक्ष में तहसीलदार सूरौठ की रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179, 436, 437, 438, 439 वाके ग्राम धुरसी तहसील सूरौठ में ईशुरिया के स्थान पर ईश्वरलाल शुद्ध किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में शेष इन्द्राज बदुस्तर रहेगें। इस संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/5/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (न्यायालय)
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:14:17 IST
Reason: SelfAttested